

झारखण्ड सरकार  
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक - प0नि0वि0/07-योजना-25/2025 - 2825(5)

दिनांक-02/07/2026

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),  
झारखण्ड,  
हिनू रांची।

विषय:-

पथ प्रमण्डल, गढ़वा अन्तर्गत "भण्डरिया-बरगढ़-टिहरी पथ के 14वें कि0मी0 में बिरहा नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य (पहुँच पथ सहित)" हेतु कुल राशि रू0 4,10,53,000/- (चार करोड़ दस लाख तिरपन हजार रूपये) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।..

आदेश:-

उपर्युक्त कार्य के लिए कुल राशि रू0 4,10,53,000/- (चार करोड़ दस लाख तिरपन हजार रूपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.

प्रस्तावित पथ का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग के अधीन है। उक्त पथ झारखण्ड से छत्तीसगढ़ राज्य जाने हेतु सीधा एवं एक मात्र संपर्क मार्ग है तथा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के एवं गढ़वा जिला के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से होकर गुजरता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अर्द्धसैनिक बलों का आवागमन उक्त पथ से होता रहता है। इस पथ के 14वें कि0मी0 में अवस्थित पूर्व से निर्मित पुल काफी पुराना एवं संकीर्ण है। अतः प्रस्तावित पथांश (चैनेज 14वें कि0मी0) में बिरहा नदी पर अवस्थित क्षतिग्रस्त पुराने पुल के स्थान पर उच्चस्तरीय सेतु का निर्माण कार्य आवश्यक है। अतएव यातायात के सुगम संचालन हेतु उक्त नदी पर उच्चस्तरीय सेतु (3 x 21 m - Span Arrangement) का निर्माण कार्य (पहुँच पथ सहित) कराया जाएगा।

3.

इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के माँग संख्या-41-राज्य स्कीम/मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-101-सेतु/उप शीर्ष-03-पुल/विरस्तु शीर्ष-05-निर्माण-45-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4.

इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, गढ़वा होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, गढ़वा से की जायेगी।

5.

इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगा:-

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2026-27	रू0 246.318 लाख	60%
2027-28	रू0 164.212 लाख	40%

6.

मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगे।

7.

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

8.

प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

9.

इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

सरकार के संयुक्त सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

3/7/26

ज्ञापांक- प0नि0वि0 / 07-योजना-25 / 2025 - 2825(S)

दिनांक- 02/07/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (याता0) पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, डालटनगंज/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।
3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
4. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

*R/wmm*  
02/07/2026 no 26  
सरकार के संयुक्त सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0 / 07-योजना-25 / 2025 - 2825(S)

दिनांक- 02/07/2026

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/उपायुक्त, गढ़वा/ संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अन्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता, मु0, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा-12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*R/wmm*  
02/07/2026 no 26  
सरकार के संयुक्त सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0 / 07-योजना-25 / 2025 - 2825(S)

दिनांक- 02/07/2026

प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*R/wmm*  
02/07/2026 no 26  
सरकार के संयुक्त सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0 / 07-योजना-25 / 2025 - 2825(S)

दिनांक- 02/07/2026

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई-मेल (E-mail) से भेजने एवं ई-प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वेबसाइट [www.jharkhand.gov.in/road](http://www.jharkhand.gov.in/road) पर upload करने हेतु प्रेषित।

*R/wmm*  
02/07/2026 no 26  
सरकार के संयुक्त सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
झारखण्ड, राँची।